# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/ डीपीसी–2019–20 /पदस्थापन /2019 दिनांक 20.06.2019 द्वारा श्री रामनिवास, व्याख्याता, वरिष्ठता क्रमांक–824 (वरिष्ठता वर्ष–2010–11), पदस्थापन स्थान–राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नागल, पंडितपुरा, जयपुर,को पदोन्नति उपरान्त जरिए काउन्सलिंग उनके द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र के आधार पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मातोर, मुण्डावर जिला अलवर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया गया था जिसके विरूद्ध श्री रामनिवास द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 1880/2019 रामनिवास बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.07.2019 द्वारा अपीलार्थी को दिव्यांग होने से निकटस्थ रिक्त स्थान बताते हुए प्रत्यर्थीगण के समक्ष एक अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थीगण द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में अपीलार्थी की दिव्यांगता व कठिनाई के मद्देनजर विधि अनुसार उसका एक आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारण करने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में परिवेदना प्रस्तुत की गई कि अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधवा महिलाओं व अन्य कार्मिकों को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति पदस्थापन आदेश में संशोधित करते हुए इच्छित स्थानों पर पदस्थापित किया गया है, जबकि प्रार्थी स्वयं भी विकलांग है किन्तु उन्हें अन्य कार्मिकों के समान इच्छित स्थान पर पदस्थापित नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपना पदस्थापन राउमावि जैनपुरवास, बहरोड जिला अलवर में किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। अपीलार्थी के पदस्थापन स्थान में परिवर्तन उनकी पदोन्नति के कारण हुआ है। यदि अपीलार्थी अपने नवीन पदस्थापन स्थान से सहमत नहीं थे तो उन्हें पदोन्नति का परित्याग करने की स्वतन्त्रता थी किन्तु उनके द्वारा पदोन्नति का परित्याग नहीं किया गया और परामर्श शिविर में भाग लिया गया। अपीलार्थी की दिव्यांगता के मद्देनजर उन्हें विकल्प के चयन में वरीयता देते हुए क्रम संख्या 2 पर उनका नाम सूची में अंकित कर उनसे विकल्प पत्र लिया गया और उनके विकल्प/लिखित सहमति के आधार पर उनका पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मातोर, मुण्डावर जिला अलवर में प्रधानाचार्य के पद पर किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी को उनके गृह जिले में ही पदस्थापित किया गया है, किसी अन्य जिले में नहीं एवं उनके द्वारा नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण भी कर लिया गया है।

जहां तक अपीलार्थी द्वारा विधवा महिलाओं एवं अन्य कार्मिकों को पदोन्नति पदस्थापन में संशोधन कर राहत प्रदान किये जाने का प्रश्न है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस सन्दर्भ में अवधारित किया गया है कि **"If the competent authority issued transfer/posting orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."**

प्रधानाचार्य एवं समकक्ष का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर के अधिकारी का पद है और माननीय उच्च न्यायालय के जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण में दिए गए निर्णय के अनुसार राज्य सेवा का पद धारित कार्मिक को सरकार अथवा विभागाध्यक्ष राज्य हित/छात्र हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित करने हेतु सक्षम है। इसी अनुरूप चाहा गया अनुतोष देय नहीं होने के कारण अपीलार्थी, रामनिवास, प्रधानाचार्य राउमावि मातोर, मुण्डावर जिला अलवर का अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

**(नथमल डिडेल)**
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

**क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/रामनिवास/1880/2019** **दिनांकः** 16-9-2019

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/रामनिवास/1880/2019 दिनांकः 16-9-2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, अलवर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक) हनुमानगढ़।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
8. सम्बन्धित कार्मिक को आदेश की पालनार्थ।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)